भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3343

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ठेका और नैमित्तिक श्रमिकों के अधिकार

3343. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य संगठनों में ठेका और नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त संगठनों में ठेका और नैमित्तिक श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन संगठनों में नियमित निगरानी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में ठेकेदारों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) उक्त श्रमिकों को स्थायी रोजगार प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या नीति यां या योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): नैमित्तिक श्रमिकों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है, और उनका आंकड़ा इन संगठनों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है।

अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत लाइसेंस और पंजीकरण के आधार पर, 2023-24 में, 34,33,685 अनुबंध कर्मचारी केंद्रीय क्षेत्र में लगे हुए थे।

सरकार ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाए हैं, जैसे पात्रता के आधार पर, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952; कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008। प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाइएम) आदि शामिल हैं।

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के नेतृत्व में केंद्रीय औद्यागिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम), नियमित निरीक्षणों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों को लागू करती है और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करती है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नैमितिक श्रमिकों/कर्मचारियों को अस्थायी दर्जा देने और बाद में नियमित करने के लिए 10.09.1993 को एक बारगी योजना अधिसूचित की थी।

******